

LC
15/11/17



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लायज कॉरपोरेशन, लि०

खाद्य भवन, दारोगा राय पथ, आर.ब्लॉक रोड नं०-2 पटना 800001

कार्यालय आदेश।

राज्य खाद्य निगम में End to End Computerization के तहत आई०टी० आधारित Supply Chain Management की व्यवस्था लागू है। e-PDS अन्तर्गत विभाग द्वारा निर्गत खाद्यान्न कैलेण्डर के आधार पर आवंटन स्वीकृति, ई-चालान निर्माण, एस०आई०ओ० निर्माण एवं निर्गमन, जी०पी०एस० एवं लोड सेल के माध्यम से डोर स्टेप डिलेवरी योजना 2016 का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। e-Procurement के अन्तर्गत मिलरो का पंजीकरण, पैक्सो को स्वीकृत्यादेश/ सी०एम०आर० प्राप्ति एवं सी०एम०आर० प्राप्ति के विरुद्ध पैक्सों को भुगतान आदि से संबंधित कार्य सम्पादित किये जाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं केन्द्र/राज्य सरकार के अन्य योजनाओं के तहत आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम गोदाम से राज्य खाद्य निगम गोदाम, पुनः निगम गोदाम से जन वितरण प्रणाली की दूकान/गोदाम तक उठाव, परिवहन, भंडारण एवं निर्गमन में पारदर्शिता लाने हेतु निगम में 'जन वितरण अन्न पर्यवेक्षण तंत्र' त्रिस्तरीय पर्यवेक्षण कवच की व्यवस्था लागू है जिसमें खाद्यान्न ढुलाई करनेवाले वाहनों का जी०पी०एस० एवं लोड सेल पर्यवेक्षण, खाद्यान्न का प्रारंभ से गंतव्य स्थान तक एस०एम०एस० के माध्यम से पर्यवेक्षण एवं दैनिक भंडार प्रतिवेदन पर्यवेक्षण शामिल है।

जी०पी०एस० एवं लोड सेल युक्त वाहनों के पर्यवेक्षण से संबंधित प्रतिवेदन उपमहाप्रबंधक (आधुनिकीकरण), पी०डी०एस० से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन, महाप्रबंधक जन वितरण एवं अधिप्राप्ति से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन, महाप्रबंधक अधिप्राप्ति को उपलब्ध कराया जाना है। Load shell, जी०पी०एस० से विचलन एवं SMS Default से दैनिक प्रतिवेदन उसी तिथि को समीक्षा कर परिवहन सह हथालन अभिकर्ता एवं दोषी कर्मी/पदाधिकारियों पर कार्रवाई प्रारंभ कराया जाना है।

बिहार राज्य खाद्य निगम के प्रशासनिक पुनर्गठन के फलस्वरूप मुख्यालय स्तर पर निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रतिदिन निम्नलिखित पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

क्र०	दैनिक प्रतिवेदन	प्राधिकारी
1	I. FCI/SFC (CMR) से एस०एफ०सी० (टी०पी०डी०एस०) दैनिक उठाव प्रतिवेदन।	1 मुख्य महाप्रबंधक (जन वितरण)
2	I. SFC से पी०डी०एस० दैनिक उठाव प्रतिवेदन। II. जन वितरण विक्रेता का आवंटन। III. ई०-चालान निर्माण। IV. जन वितरण विक्रेता द्वारा जमा राशि। V. एस०आई०ओ० निर्माण। VI. एस०आई०ओ० निर्गमन। VII. जन वितरण से संबंधित अन्य सभी संदर्भित प्रतिवेदन।	2 महाप्रबंधक (जन वितरण)
3	अधिप्राप्ति से संबंधित प्रतिवेदन। I. मिलरो का पंजीकरण प्रतिवेदन। II. निगम द्वारा पैक्सों को दिया गया स्वीकृत्यादेश। III. सी०एम०आर० प्राप्ति प्रतिवेदन। IV. सी०एम०आर० प्राप्ति के विरुद्ध पैक्सो को भुगतान। V. Acceptance Note की प्राप्ति अपर जिला प्रबंधक	1 मुख्य महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति) 2 महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति)

15/11/17

	द्वारा पर्यवेक्षण प्रतिवेदन।		
4	जी०पी०एस०/लोड सेल/एस०एम०एस० अनुश्रवण से संबंधित प्रतिवेदन।		महाप्रबंधक आधुनिकीकरण एवं उप महाप्रबंधक आधुनिकीकरण।
5	(क)	सी०एम०आर० गोदाम का दैनिक भंडार प्रतिवेदन	मुख्य महाप्रबंधक (ज०वि०प्र०) एवं महाप्रबंधक (भंडारण)
	(ख)	टी०पी०डी०एस० गोदाम का दैनिक भंडार प्रतिवेदन	

इसी प्रकार सभी जिला स्थित Supply Chain management अन्तर्गत जिला नियंत्रण कक्ष, जन वितरण एवं अधिप्राप्ति सम्बन्धित डैस बोर्ड के माध्यम से प्रतिवेदन जिला प्रबंधक/अपर जिला प्रबंधक(अधिप्राप्ति)(अपर जिला प्रबंधक (जन वितरण) को दैनिक रूप से प्रतिवेदन देगा।

सभी संदर्भित पदाधिकारी दैनिक रूप से निगम के संदर्भित कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण पर्यवेक्षण एवं कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पुर्नगठन के फलस्वरूप राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम के गोदामों तक पुनः जन वितरण प्रणाली तक उठाव, परिवहन, भंडारण एवं निर्गमन में पारदर्शिता लाने हेतु "जन वितरण प्रणाली अन्न पर्यवेक्षण तंत्र" त्रिस्तरीय पर्यवेक्षण कवच को लागू करने की व्यवस्था की गयी है। एतदसंबंधी निगम मुख्यालय के कार्यालय आदेश 2953 दिनांक-02.03.2016 से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

"जन वितरण प्रणाली अन्न पर्यवेक्षण कवच" "त्रिस्तरीय पर्यवेक्षण कवच" को पूरी पारदर्शिता से लागू करने, जी०पी०एस० मोनिटरिंग को प्रभावकारी बनाने हेतु मुख्यालय स्तर पर 24 X 7 नियंत्रण कक्ष स्थापित की गयी है, जिसका ऑन लाईन सेवा प्रदाता 4G आई०टी० सोल्यूशन एवं बिहार राज्य खाद्य निगम के एक एक पदाधिकारी संयुक्त रूप से सार्थक मोनिटरिंग करेंगे। जी०पी०एस० युक्त वाहन के विनिर्दिष्ट पथ से विचलन होने से संबंधित एस०एम०एस० का लगातार पल-पल पर्यवेक्षण कर वैसे वाहनों का क्षेत्रीय पदाधिकारियों के माध्यम से सत्यापन एवं एतदसंबंधी कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष में निम्न रूप से वरीय पदाधिकारियों की एक समिति गठित की जाती है, जिसमें निम्न रूप से पदाधिकारी होंगे :-

1. महाप्रबंधक (आधुनिकीकरण) - अध्यक्ष
2. उप महाप्रबंधक (परिवहन) - सदस्य
3. उप महाप्रबंधक (आधुनिकीकरण) - सदस्य

उपरोक्त समिति तत्संबंधी निर्गत आदेश संख्या 2953 दिनांक 02.03.2016 के निदेश का अक्षरशः अनुपालन करेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु होगा।

ज्ञापांक:- 12007

दिनांक 25/11/17

प्रतिलिपि:- सभी जिला प्रबंधक, बिहार, सभी आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक:- 12007

दिनांक 25/11/17

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उपमहाप्रबंधक/सभी प्रभाग/प्रशाखा मुख्यालय पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक।